RAJYA SABHA

Thursday, the 24th November, 2005/3 Agrahayana, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

Re. DEMAND FOR AN IMMEDIATE DISCUSSION ON THE VOLCKER COMMITTEE'S REPORT

MR. CHAIRMAN: Question No. 21 ...(*Interruptions*)...

विपक्ष के नेता (श्री जसवंत सिंह): सभापति जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हालांकि यदि बिल्कुल ही अप्रत्याशित परिस्थिति नहीं होती, तो मैं ऐसा निवेदन करने की चेष्टा कभी नहीं करता। यह प्रश्न काल है और प्रश्न काल के अनुसार मैं समझता हूं कि इस सत्रावसान के दौरान जो घटनाचक्र चला, इसमें कई ऐसे वाकये हुए, जिससे मैं सोचता हूं कि सदन के सारे कार्यकलापों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए, आज जो एक राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, जो प्रश्न आज खड़े हुए हैं, उसके लिए हमारी ओर से सभी का निवेदन रहा है कि उन प्रश्नों को लेकर, यदि सदन तुरंत चर्चा पर आता है तो उन प्रश्नों के साथ सही काम होगा। देश में भी इन बातों को लेकर जो विचार खड़ा हुआ है, वह भी सही तरीके से हो सकेगा। मैं आपसे विशेष रूप से इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक व्यवस्था बिठाई गई थी, यह अभी चल रही है, पॉल वोल्कर द्वारा एक जांच की गई है । उस जांच में से कुछ मामले निकले, उन मामलों में भारत और भारत के भी कुछ महानुभावों का उल्लेख है, कुछ संस्थाओं का उल्लेख है। अच्छा होगा कि उनकी सारी चर्चा हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। साथ ही साथ, जैसाकि पहले हो चुका है, ऐसे कई वाकये आए हैं, जब दूसरी बातचीत हो रही है, जानकारी दी जा रही है, इंक्वारी हो रही है, इनके होते हुए भी यह मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को दिया गया है, उसके सुपुर्द काम किया गया है। जिस प्रकार से इस मसले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को दे दिया गया है, साथ-साथ जैसाकि हमने निवेदन किया है, यदि इन बातों को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो सदन में हम भी अपनी बात रखना चाहेंगे और जो प्रश्न भारत के सामने प्राथमिकता से खड़े हो गए हैं, उनका भी सही समाधान निकल सकेगा, हमारा यही निवेदन है। हमारे कुछ मित्रों ने नोटिस भी दिए हैं, चर्चा के नोटिस भी दिए हैं, अच्छा होगा कि सदन की चर्चा उसी पर शुरू हो जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सम्मानित सभापति महोदय, सदन के सम्मानित विपक्ष के नेता ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। जहां तक चर्चा का प्रश्न है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जिस रूप में, जब भी और जिस प्रारूप में आप चर्चा के लिए अनुमति प्रदान करेंगे? जो हमारे रुल्स ऑफ प्रोसिजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन कौंसिल ऑफ स्टेट्स के तहत दिए गए हैं, उसके अनुसार, वह हमें स्वीकार्य होगा। जहां तक बिजनेस का प्रश्न है, मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रश्न काल है और जहां तक सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर का प्रश्न है, इसकी यह परम्परा रही है और आदरणीय विपक्ष के नेता भी इससे सहमत होंगे कि इसके लिए सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर का नोटिस दिया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, (ए) आप प्रश्न काल जारी रखें, (बी) जहां तक वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट का प्रश्न है, उस पर जिस रूप में और जब भी चर्चा कराने का आप निर्णय लेंगे, वह इस सरकार को स्वीकार्य होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी, जैसाकि नेता विपक्ष ने कहा कि हम लोगों ने कल ही नोटिस दे दिया था। कल obituary reference के बाद सदन उठा गया था और हमने नोटिस कल ही दे दिया था ...(**व्यवधान**) जैसा नेता विपक्ष ने कहा है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: जो नेता विपक्ष ने कहा है, मैं उस संबंध में अपनी बात तो कह दूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी आप, कहिए।

श्री सभापति: यह बात सही है कि क्वेश्चन ऑवर स्थगित करने के बारे में मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है ...(**व्यवधान**)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): इसमें ताली बजाने की क्या बात है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: जनरली जब भी क्वेश्चन ऑवर स्थगित किया जाता है, उसका नोटिस आता है और गुण-अवगुण के आधार पर उसका निर्णय होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी आवश्यक है और आपने बताया कि पहले इस प्रकार की बात हुई है। सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वोल्कर कमेटी के ऊपर इस समय चर्चा हो सकती है। मैंने आपका वह नोटिस देखा है। उस नोटिस में कई मसले ऐसे हैं, जिन मसलों के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता हूं कि उनको एक साथ लिया जाए, लिया जाए या नहीं लिया जाए, उन सारे प्रश्नों के ऊपर, admissibility के क्वेश्चन के ऊपर मुझे निर्णय करना पड़ेगा, यह पहली बात है। पक्ष भी चाहता है और विपक्ष भी चाहता है कि क्वेश्चन ऑवर खत्म हो जाए, इसलिए आप वोल्कर कमेटी पर चर्चा कर लीजिए।

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक नेता विपक्ष का सवाल है, जो उन्होंने नोटिस की बात कही , कल ही हम लोगों ने नोटिस दे दिया था ...(**व्यवधान**) सवाल केवल वोल्कर कमेटी का नहीं है ...(**व्यवधान**) सभापति जी, सवाल वोल्कर कमेटी का नहीं है, सवाल मुद्दे का है ...(**व्यवधान**) वोल्कर कमेटी तो एक दस्तावेज है। मुद्दा है-राजनीतिक दलों के द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना। इसलिए हमने वोल्कर कमेटी, Mitrokihin archives, Moynihan, इन तीनों पुस्तकों का हवाला देते हुए एक मुद्दा उठाया है ...(**व्यवधान**)

सभापति जी, नोटिस किसी दस्तावेज पर नहीं दिया गया है, नोटिस एक मुद्दे पर दिया गया है और मुद्दा है देश के राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना। इसके लिए हमने Mitrokihin archives, Moynihan, वोल्कर समिति की रिपोर्ट, इन तीनों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया है। Admissibility आप तय कर लें, इसके लिए हमने कल नोटिस दे दिया था। ...(**व्यवधान**) नोटिस कल दे दिया था ताकि आप इसकी admissibility तय कर लें और सरकार से बात कर लें। इसीलिए हमने क्वेश्चन ऑवर के सस्पेंशन का नोटिस अलग से नही दिया क्योंकि हम तुरंत चर्चा चाहते थे।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): It is a breach of privilege, ...(*Interruptions*)... It is a breach of privilege ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Nothing should go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, सरकार ने कहा कि वह वोल्कर समिति पर चर्चा को तैयार है। सवाल वोल्कर समिति पर चर्चा का नहीं है। सवाल इस मुद्दे का है, इश्यू का है कि देश के राजनीतिक दलों ने विदेशी धन को प्राप्त किया। यह डपजतवीपद कहता है, यह डवलदपींद कहता है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप एक मिनट सुन लीजिए। जहा तक वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, आप उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, बाकी प्रश्नों के बारे में आपने जो कहा है, बाकी रिपोर्टें आप इसलिए चर्चा में लाना चाहते हैं कि पोलिटिकल पार्टियों को लोग किस तरह से बाहर से पैसा देते हैं। यह important issue है। जब तक मैं इसकी पूरी स्टडी नहीं करूंगा, मैं एलाऊ नहीं करूंगा ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने इसीलिए कल नोटिस दिया था ...(**व्यवधान**) सर, इसीलिए तो नोटिस कल दिया था कि आप स्टडी कर लें और सरकार से बात कर लें। इसी के लिए तो कल नोटिस दिया था ...(**व्यवधान**)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, इस पर चर्चा करेंगे ...(**व्यवधान**) ये जो पोथियां लिखी गई हैं, इनमें* यह इन किताबों में लिखा हुआ है ...(**व्यवधान**)

*Not recorded.

श्री सभापति: इस प्रकार के जो आरोप-प्रत्यारोप लगें, वे रिकार्ड न किए जाएं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ये किताबें यू॰के॰ की पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुकी हैं, इनको सदन में डिस्कस करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डिस्कस करिए ना, डिस्कस करने में किसको आपत्ति है ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: चर्चा मुद्दे की है, चर्चा पुस्तकों की नहीं है, चर्चा मुद्दे की है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वोल्कर कमेटी पर चर्चा के दौरान भी आपको आरोप लगाने हैं, आप वोल्कर कमेटी के बारे में कह दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: वोल्कर कमेटी तो भरी हुई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: भरी हुई है तो बोलिए, मैं अभी एलाऊ करता हूं ...(व्यवधान) बोलिए ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुद्दा अकेले वोल्कर कमेटी नहीं है। मुद्दा है राजनीतिक दलों के द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने का।

श्री सभापति: आप मेरी बात सुन लीजिए। हाऊस आज ऐडजॉर्न नहीं हो रहा है, हाऊस एक महीने तक चलेगा। मैं भी देख लूंगा, आपसे भी बात कर लूंगा कि उनमें से कौन से इश्यू ऐसे हैं जिन पर बात करनी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, इश्यू एक ही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरी बात सुन लीजिए। वोल्कर कमेटी पर चर्चा के लिए आप तैयार हैं, बोलिए।

श्री सुषमा स्वराज: हम सबके लिए तैयार हैं ...(व्यवधान) हम सबके लिए तैयार हैं ...(व्यवधान) सर, एक मुद्दा ...(व्यवधान) आज संसद का पहला दिन है ...(व्यवधान) सभापति जी, यह मुद्दा बहुत गंभीर है ...(व्यवधान) यह मुद्दा बहुत गंभीर है ...(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, असली बात यह है कि देश की सत्ताधारी पार्टी के बारे में बड़े-बड़े गंभीर आरोप चले आए हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जोशी जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप जितने आरोप लगाना चाहें, लगाएं, लेकिन आरोप लगाने की एक विधि है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार जिसके विरूद्ध आरोप लगाए जाएं, उसे भी नोटिस मिलना चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, मैं बहुत आदर के साथ ...(व्यवधान) बहुत आदर के साथ ...(व्यवधान) बहुत आदर के साथ, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। अगर सत्ताधारी पक्ष के बारे में देश में यह चिंता हो जाए कि ये सरासर विदेशी धन पर

राजनीति कर रहे हैं, तो देश की सुरक्षा का सवाल सामने आ जाता हैं यह सवाल आ जाता है कि यहां की सरकार भारत के हित में काम कर रही है या विदेशियों के हित में काम कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह सरकार और पार्टी के चरित्र पर सवाल है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय जोशी जी, मेरी बात सुनिए ...(व्यवधान)... आप कृपया बैठिए ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बैठिए ...(व्यवधान)... आप यह बता दें ...(व्यवधान)... मैं यह बता दूं ...(व्यवधान)...

श्री सुषमा स्वराज: जो मानदण्ड इन्होंने निर्धारित किया है ...(व्यवधान)... एक विभाग छीन लिया और कह दिया कि बरी हो गए ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, she is speaking without your permission. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री राजू परमार: *

SHRI V. NARAYANASAMY: *

श्रीमती सुषमा स्वराज: *

श्री सभापति: यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है ...(व्यवधान)... रिकार्ड पर नहीं जा रहा है ...(व्यवधान)...

**श्री राजू परमार:*

श्री के० बी० कृष्णा मूर्ति:*

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, when the notices are being discussed ...(*Interruptions*)... We have also given a notice ...(*Interruptions*)... Sir, the corruption in the Armed Forces under the NDA rule ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप ने यह किताब मुझे नहीं दी है। पहले किताब दो। ...(व्यवधान)... पहले किताब दो। ...(व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at sixteen minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

*Not recorded.